


87

ग्रेज्युटी संबंधी जानकारी

- (01) निगम में नियमित वेतनमान पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने के पश्चात् ही ग्रेज्युटी की पात्रता होगी ।
- (02) ग्रेज्युटी की गणना निम्नानुसार होगी :-
अंतिम वेतन - बेसिक + डी0ए0 ÷ 26 X 15 X No. of Service Period
उदाहरण के लिए किसी कर्मचारी का अंतिम वेतन बेसिक + डी0ए0 मिलाकर 45000.00 है और उसकी कुल सेवा अवधि 35 वर्ष है । तो ग्रेज्युटी की गणना निम्नानुसार होगी :-
 $45000 \div 26 \times 15 \times 35 = 9,08,654.00$ ग्रेज्युटी राशि बनेगी ।
- (03) वर्तमान में अधिकतम 10,00,000/- ग्रेज्युटी की सीमा निर्धारित है ।
- (04) यदि किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करना आवश्यक नहीं होगा ।


प्रमुख (आपे-लिया)